पी. सी. जैन, सी.जे., और एस.एस. कांग, जे. के समक्ष

डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट और प्रबंधन सोसायटी और अन्य,-याचिकाकर्ता। ' -

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 3703 ऑफ़ 1983।

फ़रवरी 4,1986.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 29 और 30-पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर, 1979, खंड I, अध्याय VIII (ई)-विनियम 7- विश्वविद्यालय गैर-सरकारी संबद्धता वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की एक अनम्य आयु तय करने के लिए एक विनियमन तैयार कर रहा है। कॉलेज-अल्पसंख्यक

संस्थान भी इस विनियमन द्वारा शासित होते हैं - ऐसा विनियमन - क्या शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन है - अनुच्छेद 30 - क्या उल्लंघन किया गया है - विनियमन 7 गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 निर्धारित करना वर्ष–राज्य के अन्य विश्वविद्यालय ऐसे शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की अलग-अलग आयु तय करते हैं–विनियम 7–क्या मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

माना गया कि हमारे देश में सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के लिए 55 और 58 वर्ष की आयु को स्वीकार्य क्षेत्र माना जाता है। सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के लिए न तो अमेरिकी और न ही अंग्रेजी राय या मानदंड अमान्य हो सकते हैं, जिसे हमारे देश में उस उद्देश्य के लिए व्यापक रूप से उचित माना जाता है। इसलिए, गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के मामले में 60 वर्ष की आयु निर्धारित करना सामान्य भारतीयों द्वारा प्राप्त सर्वोच्च प्रदर्शन के स्तर को ध्यान में रखते हुए उचित है। यदि सिविल सेवकों के मामले में 55-58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को उचित माना जा सकता है, तो यह वैध रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के मामले में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु अनुचित या मनमानी है। उच्च पदों पर पदोन्नति के इच्छुक उम्मीदवारों के मन में एकरूपता और निश्चितता लाने के लिए विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्ति की अनम्य आयु निर्धारित की है। इस फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता. यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अधिकांश लोग अपनी उत्सुकता और पहल खो देते हैं। वे छात्रों या संस्थान को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की स्थिति में नहीं हैं। उनमें से अधिकांश कुशल सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं और उनके स्थान पर युवा लोगों को नियुक्त करने से संस्थान में नए रक्त और नए विचारों का संचार होता है। यह शिक्षा की दक्षता और उत्कृष्टता के हित में है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन की शाम को शैक्षणिक कार्य की तेज गति के साथ तालमेल बिठाने और इसकी

अन्य सख्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। भले ही वृद्धावस्था की अक्षमता की शुरुआत हो, लेकिन प्रदर्शन का चरम स्तर निश्चित रूप से बहुत पहले ही बीत चुका है। विनियमन सीधे तौर पर प्राप्त की जाने वाली वस्तु यानी शिक्षा में उत्कृष्टता से संबंधित है। सर्वोच्च स्तर के प्रदर्शन के बिंदु को पार करने के बाद समाज शिक्षकों को अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति देने की सुविधा नहीं दे सकता है। इसलिए, विनियमन मनमाना नहीं है।

(पैरा 12)..

माना गया, कि सेवा की शर्तों के लिए विनियम 7 और। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों का आचरण व्यक्तियों और समान रूप से स्थित संस्थानों के बीच भेदभाव नहीं करता है। पंजाब विश्वविद्यालय, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधानमंडल और संसद के विभिन्न अधिनियमों द्वारा की गई है, और तीनों के बीच कोई ज्यामितीय अनुरूपता नहीं है। संस्थाएँ। उनका अपना व्यक्तित्व होता है और वे कोई वर्ग नहीं बनाते। उनमें से प्रत्येक अपने आप में एक वर्ग है। इसलिए, पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक यह दावा नहीं कर सकते कि उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से निजी कॉलेजों या उन विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर्मचारियों के साथ किया जाता है। अंतर स्वयं बोलने वाला है। केवल इसलिए कि वे विश्वविद्यालय हैं, पाठ्यक्रम, अध्ययन के तरीके और शिक्षकों की सेवा की शर्तें एक जैसी नहीं हो सकतीं। इस निष्कर्ष का कोई औचित्य नहीं है कि पंजाब में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय करना अमान्य है क्योंकि अन्य विश्वविद्यालयों या राज्यों में यदि आयु 65 वर्ष तय की गई है। दोनों संविधान की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं और न तो किसी को और न ही दूसरे को मनमाना या अनुचित माना जा सकता है। इसलिए, विनियमन भेदभावपूर्ण नहीं है।

(पैरा 14).

माना गया कि विनियम 7 अनुमेय विनियमों के क्षेत्र से आगे नहीं जाता है और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के मामले में अल्पसंख्यकों के मान्यता प्राप्त अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है। लेकिन यह अधिकार कुप्रबंधन के लिए स्वतंत्र लाइसेंस नहीं देता है ताकि अनुच्छेद के स्वीकृत उद्देश्य अर्थात् शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और पूर्णता को पराजित किया जा सके। राज्य या विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थानों के आंतरिक प्रशासन या प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, यह शैक्षिक मानकों की दक्षता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए नियामक उपाय कर

सकता है और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वविद्यालय, विनियामक उपायों को अपनाने की आड़ में या रंग के तहत, अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकता है ताकि अल्पसंख्यकों में निहित प्रबंधन के अधिकार को निरर्थक या भ्रामक बना दिया जा सके। विनियम 7 का अंतर्निहित विचार निजी कॉलेजों के आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि यह केवल उनकी उत्कृष्टता और दक्षता में सुधार करना है। अच्छे एवं कुशल शिक्षक ही उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि शैक्षिक संस्थान में सक्षम कर्मचारी हों और शिक्षक छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की स्थिति और स्थिति में हों। शिक्षकों की सेवा शर्तों, कार्यकाल की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति की आयु प्रदान करके शिक्षा की दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए विनियम किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के उनके शैक्षिक संस्थानों को प्रशासित करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 30(1) में.

(पैरा 18).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय इस तरह की रिट जारी करने की कृपा कर सकता है, आदेश या निर्देश जो पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय कर सकते हैं और विशेष रूप से प्रसन्न होंगे: -

(ए) 1980 में पंजाब विश्वविद्यालय के विनियम 7 में किए गए संशोधन को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करना (अनुलग्नक पी.4); और

(बी) वैकल्पिक रूप से घोषित करता है कि उक्त विनियमन 7 जैसा कि अनुलग्नक पी 4 में पुन: प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 पर लागू नहीं है और याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में अपने स्वयं के नियम के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। उपरोक्त पैरा 10 में बाहर;

(सी) कि अनुबंध पी.1 से पी.4 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने की छूट दी जा सकती है; और

(डी) याचिकाकर्ता संख्या 2 के प्रिंसिपल के पद के संबंध में यथास्थिति, जो वर्तमान में याचिकाकर्ता संख्या 3 के पास है, रिट याचिका के अंतिम निपटान तक बनाए रखी जाएगी।

वेद व्यास, याचिकाकर्ता संख्या 1, व्यक्तिगत रूप से एच. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए आर. एल. सरीन, एम. एल. सरीन, डी. के. खन्ना, सुखदेव सिंह, अधिवक्ताओं के साथ।

आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता, मनोज स्वरूप, अधिवक्ता के साथ। याचिकाकर्ता नंबर 2 के वकील, आई. डी. सिंह राय।

जे एल गुप्ता. प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश खन्ना, अधिवक्ता और सुभाष आहूजा, अधिवक्ता।

निर्णय

सुखदेव सिंह कंग, जे.

(1) इस रिट याचिका में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा शर्तों और आचरण के नियमों के संशोधित विनियमन 7 की संवैधानिक वैधता का मुद्दा है। याचिकाकर्ताओं ने दोतरफा हमला किया।

(2) विनियमन मनमाना है; यह भेदभावपूर्ण है; यह समान रूप से स्थित व्यक्तियों और संस्थानों के बीच घृणित भेदभाव करता है और इस प्रकार यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है।

(3) विनियमन संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता संख्या 2 एक अल्पसंख्यक संस्थान है। गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की अनम्य आयु प्रदान करके, विनियमन प्रबंधन के मूल को नष्ट कर देता है, जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने की गारंटी देने वाली मौलिक स्वतंत्रता है। तथ्यात्मक मैट्रिक्स से आरंभ करने के लिए:

(4) याचिकाकर्ता क्रमांक 1, डी.ए.वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी (बाद में 'सोसायटी' के रूप में संदर्भित) एक धर्मार्थ सोसायटी है, जो 1886 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। मुख्य रूप से वैदिक संस्कृति के अध्ययन को आगे बढ़ाने और देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की पवित्र स्मृति में पंजाब के प्रमुख आर्य समाजियों द्वारा सोसायटी को बढ़ावा दिया गया था। . इसका गठन देश के विभिन्न आर्य समाज निकायों और संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन आर्य समाजियों द्वारा किया जाता है। समाज की सभी संस्थाएँ आर्य समाज की संस्थाएँ हैं।

(5) सोसायटी के पास लगभग 250 शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें 33 कॉलेज और 140 सहायता

प्राप्त स्कूल शामिल हैं, जो पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पूर्वी राज्यों और दिल्ली और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। याचिकाकर्ता नंबर 2 मेहर चंद, डी.ए.वी. कॉलेज फॉर वूमेन, चंडीगढ़, एक आर्य है। समाज संस्था और सोसायटी की घटक इकाइयों में से एक है, याचिकाकर्ता नंबर 1। इसकी शुरुआत 1968 में इसके पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मेहर चंद महाजन की याद में की गई थी। याचिकाकर्ता संख्या 3 श्रीमती. शकुंतला रॉय कॉलेज की संस्थापक प्राचार्य हैं। उन्हें 1968 में नियुक्त किया गया था और तब से वह इस कार्यालय में इसी रूप में कार्य कर रही हैं। 10 अप्रैल, 1983 को उनकी आयु 60 वर्ष हो गई, और वह 30 अप्रैल, 1983 को अपने कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाली थीं, याचिकाकर्ता संख्या 1 सोसायटी के नियमों के अनुसार, साथ ही विनियमों के अनुसार। पंजाब विश्वविद्यालय. याचिकाकर्ता नंबर 1 चाहता था कि याचिकाकर्ता नंबर 3 को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए कॉलेज में सेवा जारी रखनी चाहिए। इस निर्णय पर पहुंचने में, सोसायटी का प्रबंधन इस तथ्य से प्रभावित था कि याचिकाकर्ता नंबर 3 उत्कृष्ट स्वास्थ्य का आनंद ले रहा था; वह मानसिक रूप से स्वस्थ थी और काम करने में सक्षम थी? अगले पांच वर्षों के लिए कॉलेज के प्राचार्य। सोसायटी के नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता नंबर 1, शिक्षण स्टाफ के सभी पूर्णकालिक सदस्य 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, हालांकि, 63 वर्ष की आयु तक विस्तार की अनुमति दी जा सकती है (पर) विशेष मामलों में समिति की पहल)।

(6) याचिकाकर्ताओं का दावा है कि विनियमन संख्या 7 पूरी तरह से मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है। इस कठोर प्रावधान के पीछे कोई तर्क नहीं है, जो यह बताता है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले शिक्षक को, उसकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बावजूद, सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा। विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, अर्थात् शिक्षण और प्रशासन की दक्षता और उत्कृष्टता के बीच संबंध है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि विनियमन भेदभावपूर्ण है। क्षेत्र के अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के मामले में कमोबेश असंशोधित विनियमों की तर्ज पर सेवा विस्तार के प्रावधान हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के क़ानून में, अधिकारियों को शिक्षकों और प्राचार्यों को 65 वर्ष की आयु तक विस्तार देने में सक्षम बनाने के प्रावधान हैं। गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में भी ऐसे ही नियम हैं। संशोधित विनियमन के लागू होने से कानून के समक्ष असमानता भी पैदा हुई है, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय के गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षण कर्मचारियों को सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिल सकता है, भले ही वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। के विस्तार पर पूर्णतः प्रतिबंध। शिक्षण स्टाफ के सदस्यों की सेवा का कार्यकाल कुशल शिक्षण या शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए अनुकूल नहीं है। याचिकाकर्ता-समाज के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में अपने नियम हैं, जिसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कुछ मामलों में 63 वर्ष की आयु तक कार्यकाल का विस्तार स्वीकार्य है। विवादित विनियम 7 और याचिकाकर्ता संख्या 1 के इस नियम के बीच टकराव की स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को दी गई सुरक्षा के मद्देनजर उत्तरार्द्ध प्रबल होगा। यह भी तर्क दिया गया है कि आर्य समाजी पंजाब विश्वविद्यालय के संचालन क्षेत्र में और वास्तव में पूरे देश में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 इस प्रकार विश्वविद्यालयों के किसी भी हस्तक्षेप और बाधा के बिना अपने शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधित करने का हकदार है। एक शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य का चयन, नियुक्ति और सेवा में बने रहना सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। इसका प्रशासन और याचिकाकर्ता नंबर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में याचिकाकर्ता नंबर 3 के कार्यकाल को बढ़ाने का हकदार है।

(7) याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और इसके कुलपति को प्रतिवादी 1 और 2 के रूप में दोषी ठहराया है।

(8) उत्तरदाताओं ने इस रिट याचिका का विरोध किया है और रिट याचिका में ली गई भौतिक दलीलों का खंडन करते हुए लिखित बयान दायर किया है। यह है। इस बात से इनकार किया गया कि आर्य समाज एक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है; और यह कि पंजाब विश्वविद्यालय के संचालन क्षेत्र में आर्य समाजी अल्पसंख्यक हैं। यह तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते हैं। वैकल्पिक रूप से, यह दलील दी जाती है कि विनियम 7 शैक्षिक मानकों की दक्षता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक नियामक उपाय है। यह किसी भी तरह से संस्थान की प्रशासनिक स्वायत्तता या प्रबंधन के मूल को नष्ट या हस्तक्षेप नहीं करता है, ताकि प्रबंधन के प्रशासन के अधिकार को निरर्थक या भ्रामक बना दिया जा सके। सरकार या विश्वविद्यालय सेवा के कार्यकाल को सुरक्षित करने, सेवा में प्रवेश की आयु, भर्ती के लिए योग्यता और सेवानिवृत्ति की आयु या यह सुनिश्चित करने के लिए गणना किए गए उपायों को निर्धारित करने के लिए शिक्षकों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम बना सकते हैं। अच्छे शिक्षकों की सेवा में नियुक्ति और शिक्षा के मानकों को बढ़ावा देना। विवादित विनियमन पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू है और भेदभावपूर्ण नहीं है। चूंकि विनियमन शैक्षिक मानकों की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 3 ने 10 अप्रैल, 1983 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, और 30 अप्रैल, 1983 (अप्रैल महीने के अंतिम दिन) को सेवानिवृत्त होने वाला था। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 ने प्रिंसिपल के पद का विज्ञापन नहीं किया और यह नहीं कहा जा सकता कि वे इस पद को भरने के लिए समान या अधिक सक्षम व्यक्ति ढूंढने में विफल रहे। याचिकाकर्ता संख्या 3 को पांच साल का विस्तार देना विनियम 7 का उल्लंघन था। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता संख्या 22 को वास्तविक कानूनी स्थिति से अवगत कराया था।

इसके बाद याचिकाकर्ता संख्या 2 ने विश्वविद्यालय को सूचित किया कि प्राचार्य का पद विज्ञापित किया गया है। पिछले अनुभव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा पर विनियम 7 में संशोधन 1 आवश्यक हो गया था। याचिकाकर्ता संख्या 3 ने उत्तरदाताओं 1 और 2 के लिखित बयान के प्रत्युत्तर के माध्यम से एक हलफनामा दायर किया, जिसमें रिट याचिका में अपनाए गए रुख को दोहराया गया था। यह दलील दी गई थी कि सेवा के कार्यकाल को सुरक्षित करने के लिए शिक्षकों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को तैयार करने की आड़ में अपने शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने के अल्पसंख्यकों के अधिकार में हस्तक्षेप करना विश्वविद्यालय के लिए खुला नहीं था। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों की कार्रवाई याचिकाकर्ता संख्या 3 की तुलना में भेदभावपूर्ण है। विश्वविद्यालय, प्रतिवादी संख्या 1 कई मामलों में विनियम 7 को लागू नहीं कर रहा था और इसके उदाहरण पैराग्राफ में दिए गए हैं। प्रत्युत्तर के 17 और 24.

(9) संशोधित विनियम 7 को बिल्कुल शुरुआत में ही असंशोधित विनियम के साथ जोड़ना उचित होगा:

"विनियम 7 (असंशोधित): एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी और शिक्षक की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के आधार पर शासी निकाय द्वारा इसे 65 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

"विनियम 7 (असंशोधित): विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों में सभी पूर्णकालिक शिक्षक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे और उसके बाद सेवा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

प्रत्येक शिक्षक उस माह के अंतिम दिन की दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिस माह में उसकी सेवानिवृत्ति होती है। जिससे उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है।"

(10) यह स्पष्ट है कि विनियम 7 के संशोधन के बाद, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की शासी निकाय की शक्तियां छीन ली गई हैं। यह निर्धारित करना होगा कि क्या विश्वविद्यालय की यह कार्रवाई मनमाना है और हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों यानी शिक्षा की उत्कृष्टता से असंबंधित है।

(11) यह माना गया है कि पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की एक आयु होनी चाहिए। मौजूदा संशोधन से पहले भी विनियम 7 में सेवानिवृत्ति की आयु '60' तय की गई थी। इसने केवल निजी कॉलेजों के शासी निकायों को शिक्षक की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के आधार पर अपने कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार दिया। यहां तक कि याचिकाकर्ता नंबर 1

द्वारा बनाए गए विनियमन में भी अपने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसे उपयुक्त मामलों में 63 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। वास्तव में सेवानिवृत्ति की आयु की शर्त सभी सेवाओं की एक सामान्य विशेषता है।

(12) शिक्षा की उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निर्देश देने और शैक्षिक संचालन में इष्टतम दक्षता प्राप्त करने के लिए

(संस्थानों के लिए, सेवानिवृत्ति की आयु तय करना अनिवार्य है। सर्वोच्च स्तर की दक्षता का बिंदु अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग होना तय है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु स्पष्ट रूप से इस कारण से अलग-अलग व्यक्तियों में भिन्न नहीं हो सकती है। एक सामान्य योजना इसलिए, सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले सामान्य अनुप्रयोग को प्रधानाध्यापकों सहित शिक्षकों के प्रदर्शन स्तर और उनके करियर के शुरुआती दिनों में निचले स्तर पर शिक्षकों के लिए पदोन्नति के अवसर खोलने की आवश्यकता के अनुभव के आलोक में विकसित किया जाना चाहिए। अनिवार्य रूप से, विश्वविद्यालय को ऐसा करना होगा सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करते समय परस्पर विरोधी दावों को संतुलित करें। एक ओर शैक्षिक संस्थानों को वरिष्ठ शिक्षकों के परिपक्व अनुभव के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है; दूसरी ओर निराशा और ठहराव की भावना की अनुमति नहीं दी जा सकती है। शिक्षण स्टाफ के कनिष्ठ सदस्यों और समाज के युवा वर्गों के मन में उत्पन्न करने के लिए। समाज के विभिन्न वर्गों के इन परस्पर विरोधी दावों के संतुलन में नीति के सूक्ष्म प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें जहां तक संभव हो, निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के. दावों में अलग-अलग शक्ति और प्रयोज्यता के विचार शामिल हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु जैसे लोकप्रिय मुद्दों की वैधता को हल करते समय परस्पर विरोधी दावों को संवेदनशील न्यायिक पैमाने पर रखना और यह पता लगाकर मुद्दे का फैसला करना उचित नहीं है कि संतुलन किस ओर झुकता है। सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण मनमाना या अनुचित होगा, यदि यह उन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है जो सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के लिए प्रासंगिक हैं या यदि यह कुशलतापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। विवादित विनियमन को वैध माना जाना चाहिए यदि मूल आधार जिस पर यह आगे बढ़ता है उसे तुलनीय स्थिति में निष्पक्ष और उचित माना गया है, यदि इसके प्रावधान प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के साथ जुड़े हुए हैं और यह संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है मौलिक अधिकारों से संबंधित विनियम पारित करने की विधायी शक्ति पर। इस सिद्धांत पर और अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि मामला समाप्त हो गया है - के. नागराज और अन्य आदि

बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य[1] आदि में शीर्ष न्यायालय के नवीनतम निर्णय से, (1)। उस मामले में आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (सेवा की शर्तों का विनियमन) अध्यादेश के खंड 10 की शक्तियाँ, जिसने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष कर दिया था, को न तो मनमाना और न ही तर्कहीन माना गया। निम्नलिखित टिप्पणियाँ हाथ में लिए गए मामले पर लागू होती हैं: -

"वास्तव में, याचिकाकर्ताओं के विभिन्न वकीलों द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार करने से निष्कर्ष निकलना चाहिए

कि पूरे भारत में सेवानिवृत्ति की एक समान आयु होनी चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति की आयु 58 से घटाकर 55 करना इस आधार पर मनमाना माना जाता है कि यह दीर्घायु में हुई प्रगति को नजरअंदाज करता है, तो सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करने से भी मनमानेपन के आरोप को बनाए रखने की संभावना है। यह तर्क अभी भी दिया जा सकता है कि जीवन की अपेक्षाओं में सुधार के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 या 62 या यहां तक कि 65 वर्ष तय की जानी चाहिए। फिर भी, हालांकि अपरिवर्तनीय विचार जो आम तौर पर या सार्वभौमिक रूप से सच हैं जैसे कि बढ़ी हुई जीवन अपेक्षाएं उतनी ही हैं यह जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ तमिलनाडु के लिए भी मान्य है, लेकिन यह इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहरा सकता कि जम्मू और कश्मीर में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष तय करना अमान्य है क्योंकि तमिलनाडु राज्य ने इसे 58 वर्ष तय किया है। दोनों ही शर्तों के अंतर्गत आ सकते हैं। संविधान और न ही एक और न ही दूसरे को मनमाना या अनुचित माना जा सकता है। एक बड़ा और व्यापक क्षेत्र हो सकता है जिसके भीतर प्रशासक या विधायक तर्कसंगतता के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन किए बिना कार्य कर सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जो जोड़ों में मुक्त खेल की अनुमति देता है "।

उनके आधिपत्य ने, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों द्वारा नियुक्त विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, सिविल सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष या 58 वर्ष की सिफारिश करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि हमारे यहां 55 और 58 वर्ष की आयु मानी जाती है। सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के लिए देश को संचालन का स्वीकार्य क्षेत्र माना गया है। सेवानिवृत्ति की आयु तय करने के लिए न तो अमेरिकी और न ही अंग्रेजी राय या मानदंड अमान्य हो सकते हैं, जिसे हमारे देश में उस उद्देश्य के लिए व्यापक रूप से उचित माना जाता है। इसलिए, गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के मामले में 60 वर्ष की आयु

[1] एआईआर 1985 एस.सी. 551.

निर्धारित करना सामान्य भारतीयों द्वारा प्राप्त सर्वोच्च प्रदर्शन के स्तर को ध्यान में रखते हुए उचित है। यदि सिविल सेवकों के मामले में 55-58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु को उचित माना जा सकता है, तो यह वैध रूप से तर्क नहीं दिया जा सकता है कि गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के मामले में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु अनुचित या मनमानी है। उच्च पदों पर पदोन्नति के इच्छुक उम्मीदवारों के मन में एकरूपता और निश्चितता लाने के लिए विश्वविद्यालय ने कुछ मामलों में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के प्रावधानों को हटा दिया है। एकरूपता और निश्चितता का परिचय देने वाला यह निर्णय नहीं कहा जा सकता

मनमाना के रूप में. यह सामान्य ज्ञान की बात है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, अधिकांश लोग अपनी उत्सुकता और पहल खो देते हैं। वे छात्रों या संस्थान को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की स्थिति में नहीं हैं। उनमें से अधिकांश कुशल सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं और उनके स्थान पर युवा लोगों को नियुक्त करने से संस्थान में नए रक्त और नए विचारों का संचार होता है। यह शिक्षा की दक्षता और उत्कृष्टता के हित में है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने जीवन की शाम को शैक्षणिक कार्य की तेज गति के साथ तालमेल बिठाने और अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं। भले ही वृद्धावस्था की अक्षमता की कोई शुरुआत न हो, लेकिन प्रदर्शन का चरम स्तर निश्चित रूप से बहुत पहले ही बीत चुका है। विवादित विनियमन सीधे तौर पर प्राप्त की जाने वाली वस्तु यानी शिक्षा में उत्कृष्टता से संबंधित है। सर्वोच्च स्तर के प्रदर्शन के बिंदु को पार करने के बाद समाज शिक्षकों को अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति देने की विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। विनियमन मनमाना नहीं है.

(13) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री वेद व्यास ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि विनियमन 7 व्यक्तियों और समान रूप से स्थित संस्थानों के बीच एक घृणित भेदभाव करता है। 1 नवंबर, 1966 को पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद, पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब-पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा- 72 के तहत एक अंतर-राज्य निकाय कॉर्पोरेट बन गया है। धारा 72 के तहत, केंद्रीय सरकार ने विभिन्न निर्देश जारी किए हैं जिनका प्रभाव पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 को संशोधित करने पर है। पंजाब पुनर्गठन के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार की मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद लागू किए गए विनियम 7 सहित विनियम लागू किए गए हैं। कार्यवाही करना। इस प्रकार पंजाब विश्वविद्यालय केंद्रीय कानून द्वारा शासित होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। इस प्रकार दोनों विश्वविद्यालय समान रूप से स्थित हैं। केंद्र सरकार ने विनियम 7 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया माना जाएगा। यह तर्क हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह सच है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 72 के क्रियान्वयन के कारण, पारिजाब विश्वविद्यालय एक अंतर-राज्य निकाय कॉर्पोरेट बन गया है और केंद्र सरकार निर्देश जारी कर

रही है जिसका प्रभाव पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करने पर पड़ा है। , 1947, पंजाब विधानमंडल द्वारा पारित। यह भी सही है कि 1966 के बाद, पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा बनाए गए नियम केंद्र सरकार की मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कानून बनते हैं, फिर भी, पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम का एक प्राणी बना हुआ है।

इसे संसद के किसी अधिनियम के तहत स्थापित नहीं किया गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर यह तर्क दिया जा सके कि पुनर्गठन के बाद पंजाब विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान बन गया है। मौजूदा कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को शक्तियां प्रदान करने से, राज्य के कानून की प्रकृति और स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट अभी भी नियम बनाने के लिए सक्षम एकमात्र प्राधिकारी बनी हुई है। सिर्फ इसलिए कि ये नियम केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाते हैं, इससे उनके लेखकत्व या प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता है; वे अभी भी पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियम बने हुए हैं। यह स्थिति कुछ हद तक विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के समान है, जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी और सहमति के लिए आरक्षित हैं। ऐसी सहमति प्राप्त होने के बाद, ऐसे अधिनियम राज्य अधिनियम बने रहेंगे। वे भारत संघ द्वारा संसद या केंद्रीय विधान के अधिनियमों की प्रकृति में भाग नहीं लेते हैं। तर्क में तकनीकी खामी है. यदि याचिकाकर्ता एक केंद्रीय कानून के रूप में विनियमन को चुनौती देना चाहते थे, तो यह याचिकाकर्ता के लिए बाध्य था कि वह भारत संघ को प्रतिवादी के रूप में शामिल करे। उन्होंने ऐसा नहीं किया है. इसलिए, वे यह तर्क नहीं उठा सकते*

(14) आगे यह तर्क देने की कोशिश की गई है कि पंजाब राज्य में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर समान रूप से स्थित थे। दिल्ली और गुरुनानक देव दोनों विश्वविद्यालयों के शिक्षक कुछ शर्तों के अधीन, 65 वर्ष की आयु तक अपने संस्थानों में सेवा दे सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी कॉलेजों के प्रबंधन और उनमें कार्यरत शिक्षकों के साथ भेदभाव किया गया है। उनके मामले में सेवानिवृत्ति की आयु के विस्तार की रियायत को तर्कहीन तरीके से वापस ले लिया गया है। हम प्रभावित नहीं हैं. पंजाब विश्वविद्यालय, गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य विधानमंडल और संसद के विभिन्न अधिनियमों द्वारा की गई है। तीनों संस्थानों के बीच कोई ज्यामितीय समानता नहीं है। उनका अपना व्यक्तित्व है. वे कोई वर्ग नहीं बनाते. उनमें से प्रत्येक अपने आप में एक वर्ग है। पी . इसलिए, आवेदक यह दावा नहीं कर सकते कि उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा, जिस तरह निजी कॉलेजों या उन

विश्वविद्यालयों से संबद्ध कर्मचारियों के साथ किया जाता है। अंतर स्वयं बोलने वाला है। सिर्फ इसलिए कि वे विश्वविद्यालय हैं, हमारे संस्थान, अध्ययन के तरीके और शिक्षकों की सेवा की शर्तें एक जैसी नहीं हो सकतीं। वास्तव में यह तर्क नहीं दिया गया है कि वे वही हैं। के. नागराज के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य की ऊपर दी गई टिप्पणियाँ इस तर्क का पूर्ण उत्तर प्रदान करती हैं। उनके आधिपत्य ने देखा है कि इस निष्कर्ष का कोई औचित्य नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष तय करना अमान्य है क्योंकि तमिलनाडु राज्य ने इसे 58 वर्ष तय किया है। दोनों संविधान की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं और न तो एक और न ही दूसरे को मनमाना या अनुचित माना जा सकता है। ऐसा बड़ा और विस्तृत क्षेत्र हो सकता है जिसके भीतर प्रशासक या विधानमंडल तर्कसंगतता के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन किए बिना कार्य कर सकता है। यह वह क्षेत्र है जो जोड़ों में मुक्त खेल की अनुमति देता है। विनियमन भेदभावपूर्ण नहीं है.

(15) श्री वेद व्यास ने जोरदार तर्क दिया कि आर्य समाज पूरे देश में और किसी भी मामले में पंजाब विश्वविद्यालय के संचालन क्षेत्र में एक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है। विनियमन 7 इससे संबद्ध गैर-सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की एक अनम्य आयु निर्धारित करके प्रबंधन के मूल और याचिकाकर्ता नंबर 1 की स्वायत्तता को कमजोर करता है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और तय करना किसी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विनियमन संविधान के अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करता है और अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

(16) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री जे.एल. गुप्ता ने तर्क दिया कि आर्य समाज अल्पसंख्यक है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय इस मुद्दे से संबंधित फ़ाइल में कम सामग्री के आधार पर नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वही निर्णय नहीं लिया जा सकता. हालाँकि, श्री गुप्ता ने बहुत निष्पक्षता से कहा कि वह आर्य समाज को अल्पसंख्यक मानते हुए मामले पर बहस करेंगे। ऐसी स्थिति में हम यह निर्धारित करने की प्रक्रिया से बच जाते हैं कि आर्य समाज अल्पसंख्यक है या नहीं। हालाँकि, हम उस आधार पर मामले से निपटेंगे।

(17) इसके बाद श्री गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क का प्रतिवाद किया। उन्होंने तर्क दिया कि विनियमन 7 को अल्पसंख्यक संस्थानों सहित शिक्षकों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि शिक्षा के मानकों को बनाए रखा जा सके। यह विनियमन किसी भी तरह से शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। यह पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों पर समान रूप से लागू है। शिक्षक, जो अपने चरम प्रदर्शन के चरण को पार कर

चुके हैं, छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते हैं। ऐसा

शिक्षक शिक्षा के उत्कृष्ट मानकों को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने में पूरी तरह सक्षम है। यह विनियमन किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन में आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(18) विनियम 7 अनुमेय विनियमों के क्षेत्र से आगे नहीं जाता है और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के मामले में अल्पसंख्यकों के मान्यता प्राप्त अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है। लेकिन यह अधिकार कदाचार के लिए खुला लाइसेंस नहीं देता है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अनुच्छेद के स्वीकृत उद्देश्य अर्थात् उत्कृष्टता और पूर्णता को पराजित किया जा सके। राज्य या विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थानों के आंतरिक प्रशासन या प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, हालांकि, यह शैक्षिक मानकों की दक्षता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए नियामक उपाय कर सकता है और सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी कर सकता है। शिक्षक या अन्य कर्मचारी। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वविद्यालय, विनियामक उपायों को अपनाने की आड़ में या रंग के तहत, अल्पसंख्यक संस्थान के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर सकता है ताकि अल्पसंख्यक में निहित प्रबंधन के अधिकार को निरर्थक या भ्रामक बना दिया जा सके। विनियम 7 का अंतर्निहित विचार निजी कॉलेजों के आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि यह केवल उनकी उत्कृष्टता और दक्षता में सुधार करना है। अच्छे एवं कुशल शिक्षक ही उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि शैक्षणिक संस्थान में सक्षम कर्मचारी हों और शिक्षक छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की स्थिति और स्थिति में हों। शिक्षकों की सेवा शर्तों, कार्यकाल की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति की आयु प्रदान करके शिक्षा की दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए नियम किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 30(1) में निहित है। शिखर न्यायालय* ने विभिन्न अवसरों पर अनुच्छेद 30(1) की व्याख्या की और इसके दायरे और दायरे को समझाया। एयू सेंट्स हाई स्कूल, आदि, आदि बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, आदि[2] मामले में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के पास पिछले फैसले पर विचार करने का अवसर था।

पुन: अंतिम न्यायालय: केरल शिक्षा विधेयक, 1957; रेव सिद्धराजभाई सभाई बनाम बॉम्बे

[2] एआईआर 1980 एस.सी. 1042

राज्य[3], रेव. फादर डब्लू. प्रोस्ट बनाम बिहार राज्य[4], केरल राज्य बनाम वेरी रेव. मदर प्रोविंशियल[5]। डी.ए.वी. कॉलेज बनाम पंजाब राज्य[6], अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य[7], गांधी फ़िज़-ए-एम कॉलेज। शाहजहाँपुर बनाम आगरा विश्वविद्यालय[8], और लिली कुरियन बनाम सीनियर लेविना[9]। अनुच्छेद 30(1) के दायरे और दायरे को विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा समझाया गया था और उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों को हटा दिया गया था। ऐसा देखा गया : -

"इन निर्णयों से पता चलता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने और उनकी उत्कृष्टता को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए नियमों के माध्यम से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वैध रूप से निर्धारित किया जाए। किसी संस्थान के शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसमें सक्षम कर्मचारी हों। सेवा की शर्तें जो कर्मचारियों के लिए न्यूनतम योग्यता, उनके वेतनमान, सेवा के अन्य लाभों के लिए उनकी पात्रता और सुरक्षा उपायों को निर्धारित करती हैं, जिन्हें उन्हें सेवा से हटाने या बर्खास्त करने या उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले देखा जाना चाहिए, वे सभी स्वीकार्य हैं। नियामक चरित्र के उपाय. जैसा कि केरल शिक्षा विधेयक में दास सी.जे. द्वारा कहा गया है, "प्रशासन के अधिकार में स्पष्ट रूप से कुप्रबंधन का अधिकार शामिल नहीं हो सकता है" और रेव्ह सिद्धराजभाई में शाह जे. के शब्दों में, "अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है" निर्देशों, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और इसी तरह की दक्षता के हित में"। हिदायतुल्ला सी.जे. ने वेरी में कहा। रेव्ह मदर प्रोविंशियल ने कहा कि "शिक्षा के मानक प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं" कि "अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षिक संस्थानों से अपेक्षित उत्कृष्टता के मानक से नीचे गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती" और "नियमन करने का राज्य का अधिकार" शिक्षा, शैक्षिक मानकों और संबद्ध मामलों से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने डी.ए.वी. कॉलेज ने गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर, अधिनियम, 1961 के खंड 18 को बरकरार रखते हुए दोहराया कि अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम, जो उनकी दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाए

---

[3] (1963) 3 एस.सी.आर. 837.

[4] (1969)2 एस.सी.आर. 688.

[5] (1971)1 एस.सी.आर. 734.

[6] (1971)1 पूरक। एस.सी.आर. 688.

[7] (1975)1 एस.सी.आर. 173.

[8] (1975)3 एस.सी.आर. 810.

[9] (1979)1 एस.सी.आर. 820.

गए हैं, उनके अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करें।"

(19) उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों का अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार निर्देशों की दक्षता और शिक्षा की उत्कृष्टता के हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इस दृष्टि से, शिक्षा की दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों सहित शिक्षकों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाए जा सकते हैं। इसमें सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना शामिल होगा। इस मामले में सिद्धांत पर किसी और चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पुनः एकीकृत नहीं है। श्री वेद व्यास के तर्क का सम्पूर्ण उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के डी.ए.वी. के निर्णय से मिलता है। कॉलेज, जालंधर आदि बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (10)। याचिकाकर्ता नंबर 1 ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर द्वारा बनाए गए नियम 2(1) (ए), 17 और 18 को खंड 1(2) और (3) के साथ चुनौती दी गई थी। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर अधिनियम, 1969 की धारा 19 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आधार पर कि उन्होंने अपने संस्थानों के प्रबंधन में हस्तक्षेप किया और इस तरह अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन किया। संविधान. ऊपर उल्लिखित क़ानून, जहां तक वे हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

"2(1) (ए) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाला एक कॉलेज आवेदन पत्र भेजेगा

रजिस्ट्रार और सीनेट को संतुष्ट करेगा: -

(ए) कि कॉलेज में एक नियमित रूप से गठित शासी निकाय होगा जिसमें सीनेट द्वारा अनुमोदित 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और इसमें अन्य लोगों के अलावा, विश्वविद्यालय के 2 प्रतिनिधि और कॉलेज के पदेन प्राचार्य शामिल होंगे:

बशर्ते कि उक्त शर्तें सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों के मामले में लागू नहीं होंगी, हालांकि, एक सलाहकार समिति होगी जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल (पदेन) और विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि शामिल होंगे।

17. प्रारंभ में नियुक्त स्टाफ को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बाद के सभी परिवर्तनों को कुलपति की मंजूरी के लिए विश्वविद्यालय को सूचित किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थानों के मामले में, शिक्षक-छात्र अनुपात 1:12 से कम नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी.

कॉलेज गैर-सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा और आचरण को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जा सकता है।

18. गैर-सरकारी कॉलेज गैर-सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा और आचरण को नियंत्रित करने वाले अध्यादेश में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जा सकता है।

उनके आधिपत्य ने माना कि क़ानून के खंड 2(1) (ए) और 17 में निहित प्रावधान याचिकाकर्ता के कॉलेजों के प्रबंधन के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं और अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करते हैं। ऐसा देखा गया : -

“हमारे विचार में अध्याय के खंड 2(1)(ए) और 17 में निहित प्रावधानों का कोई संभावित औचित्य नहीं है। क़ानून का V जो याचिकाकर्ता के कॉलेजों के प्रबंधन के अधिकारों में निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता है। इसलिए, इन प्रावधानों को संबद्धता की शर्तों के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, जिसका अनुपालन न करने पर असंबद्धता शामिल होगी और परिणामस्वरूप उन्हें अनुच्छेद 30(1) का उल्लंघन करने वाला मानते हुए रद्द करना होगा।"

(20) हालाँकि, क़ानून के खंड 18 के प्रावधान, जो यह कहते हैं कि गैर-सरकारी कॉलेजों का प्रबंधन शिक्षकों की सेवा और आचरण से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करेगा, को बरकरार रखा गया था। निर्णय का अनुपात निष्कर्षण से होता है:-

“38. हालाँकि, खंड 18, हमारे विचार में खंड 17 के समान दोष से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि यह प्रावधान जहां तक अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होता है, नियोक्ता विश्वविद्यालय को शिक्षकों की सेवा और आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा निर्धारित करने के लिए अधिनियमित होते हैं। संस्थानों के व्यापक हित में उनकी दक्षता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना। यह पहली बार सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में एक अध्यादेश जारी कर सकता है या ऐसे संस्थानों द्वारा आम तौर पर या विशेष विषयों में नियोजित किए जाने वाले शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर सकता है। सभी गैर-सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्तों और आचरण में एकरूपता लाने से सामंजस्य स्थापित होगा और निराशा से बचा जा सकेगा। बेशक, संदर्भित मामलों के संबंध में अध्यादेश बनाने की शक्ति असाधारण है, अनुच्छेद 30(1) के तहत अधिकार के उल्लंघन की प्रकृति, यदि कोई हो, अध्यादेश के वास्तविक उद्देश्य और आयात पर निर्भर करेगी जब इसे बनाया जाएगा और इसका शैक्षणिक संस्थान के प्रशासन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके बारे में अभी बताना संभव नहीं है।”

(21) उनके आधिपत्य में निर्धारित शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा नियोजित किए जाने वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में एक अध्यादेश जारी कर सकता है। विनियम 7 केवल सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है और यह स्पष्ट रूप से डी.ए.वी. में अनुपात द्वारा कवर किया गया है। कॉलेज, जालंधर का मामला (सुप्रा)। इस प्रकार हमारा विचार है कि विनियम 7 किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

(22) अंत में श्री वेद व्यास द्वारा यह तर्क दिया गया कि कुछ शिक्षक, जिनका विवरण याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा दायर प्रत्युत्तर के पैरा 17 और 24 में दिया गया है, पहले ही 60 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और उन्होंने उन्हें उनके संबंधित प्रबंधन द्वारा सेवानिवृत्त नहीं किया गया है और विश्वविद्यालय ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। बहरहाल, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता संख्या 3 के सेवा विस्तार को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

(23) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री जे.एल. गुप्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उदाहरण मेडिकल कॉलेजों से संबंधित हैं। वरिष्ठ डॉक्टर शिक्षण कार्य करने में अनिच्छुक हैं, ^यहां प्रोफेसरों की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान मामले में स्टे दिए जाने के बाद किसी भी कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। किसी विशेष मामले में विश्वविद्यालय की गैर-कार्यवाही या निष्क्रियता याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगी कि विनियमन 7 उनके कॉलेज पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

(24) हमें श्री गुप्ता की इस बात में दम नजर आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी गैर-सरकारी कॉलेजों पर रेगुलेशन 7 लागू कर दिया गया है। भले ही श्री गुप्ता द्वारा प्रत्युत्तर में वर्णित कॉलेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया है, इससे याचिकाकर्ताओं को यह दावा करने का कोई आधार नहीं मिलेगा कि उनके मामले में विनियमन 7 के प्रावधानों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिवादी विनियमन 7 को लागू करने के लिए बाध्य हैं। याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं के खिलाफ परमादेश रिट जारी करने का दावा नहीं कर सकते हैं जो उन्हें कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकता है। एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने वाला एक विनियमन याचिकाकर्ताओं पर बाध्यकारी है। उन्हें इसका पालन करना होगा.

(25) परिणामस्वरूप रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे लागत के संबंध में कोई

आदेश दिए बिना खारिज कर दिया जाता है।

एन.के.एस,

अस्वीकरण:

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा